संख्या-62 /2023/3658/58-1-2023/54-2099/42/2023

प्रेषक,

**अनामिका सिंह,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2. **मिशन निदेशक,**
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
लखनऊ।

3. **निदेशक,**
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

**विषय:- अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई (टी0एच0आर0 यूनिट) की वर्तमान उत्पादन लागत अनुसार ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अतिरिक्त धनराशि (Gap Fund) प्रदान किये जाने के सम्बंध में।**

**महोदय/महोदया,**

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-19/2020/2591/58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी, दिनांक 01.10.2020 निर्गत किया गया, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह (SHG) से अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया। मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में स्पष्ट उल्लेख है कि पोषाहार की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अन्तर्गत ही की जायेगी। उक्त के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह (SHG) द्वारा अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है।

2- उक्त के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपनी पत्रावली के माध्यम से मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-52/3363/टीएचआर/2022-2023, दिनांक 05.01.2023 के क्रम में अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई (टी0एच0आर0यूनिट) की वित्तीय व्यवहार्यता का विश्लेषण करते हुए प्रमुखतः मुद्रास्फीति (inflation) में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत उत्पादन इकाईयों को आर्थिक रूप से टिकाऊ और व्यवहार्य बनाने के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की लागत में संशोधन की आवश्यकता के क्रम में रु0 935.27 करोड़ वार्षिक एवं परियोजना प्रारम्भ से दिसम्बर, 2022 तक रु0 75.99 करोड़ अतिरिक्त धनराशि (Gap Fund) की मांग हेतु प्रस्ताव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पुन: दिनांक 20.09.2023 को योजना प्रारम्भ से मार्च, 2024 तक के लिए अनुपूरक पुष्टाहार के उत्पादन लागत की कुल वी0जी0एफ0 धनराशि रु0 262.13 करोड़ प्राप्त करने हेतु माँग की गयी।

3- उक्त के संबंध में दिनांक 19.07.2023 एवं 20.07.2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नवत् मुख्य निर्णय लिये गए :-

(1) यदि एस0आर0एल0एम0 द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने हेतु Viability Gap Funding निश्चित समय हेतु प्रदान की जाती है, तो इसका प्रयोग स्वयं सहायता समूह अपने leaning curve gap को पूर्ण करने में उपयोग कर सकेंगे तथा quality, efficiency and performance को सुदृढ़ कर खुले बाजार में अपने उत्पाद प्रतियोगी दरों पर आपूर्ति कर पाने में सक्षम हो जायेंगे। क्योंकि राज्य सरकार का उद्देश्य आई0सी0डी0एस0 सेक्टर में किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कार्टेल को समाप्त करना तथा विकेन्द्रीकृत आपूर्ति को प्रोत्साहित करना है, अत: स्वयं सहायता समूहों को Viability Gap Fund दिया जाना सर्वथा उपयुक्त है। इससे शुरुआती दौर की Learnings के बाद स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की आपूर्ति के साथ ही पौष्टिक आहार Branding करके बाजार में आपूर्ति कर सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) यह भी तथ्य संज्ञान में लिया गया कि यदि Viability Gap Fund बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के समूहों को दिया जाता है, तो समूहों के समक्ष कार्य संस्कृति सुधार करने का कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं रहेगा। अनुपूरक पुष्टाहार योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है तथा इसके वित्तीय मानक देश के समस्त प्रदेशों के लिये एक समान हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर राज्य सरकार से Viability Gap Fund (V.G.F.) लेकर यू0पी0एस0आर0एल0एम0 को धनराशि आवंटित करना भविष्य में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) की विकट ऑडिट आपत्तियों को जन्म देगा, जिसका कोई भी तथ्यपरक उत्तर दिये जाने में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग सक्षम नहीं होगा। कुछ अन्य राज्यों जैसे-तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं केरल में राज्य सरकार द्वारा क्वालिटी न्यूट्रीशनल फूड जैसे-अण्डा, दूध आदि के लिए टॉपअप किया जा रहा है, परन्तु यह इन राज्यों द्वारा स्थानीय रूप से संचालित योजनाओं का भाग है। अत: बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समक्ष भारत सरकार द्वारा पोषाहार हेतु अनुमन्य धनराशि के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि दिये जाने का विकल्प नहीं है। साथ ही यदि इस प्रकार की subsidy बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो स्वयं सहायता समूहों के लिए अपने क्रिया-कलापों को और efficient तथा Market Ready बनाने का कोई incentive नहीं रहेगा। इससे भविष्य में V.G.F. की मात्रा भी बढ़ाये जाने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। यह राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं होगा। साथ ही एक बढ़े Captive Market का उपयोग करते हुए बेहतर कार्यतंत्र से बाजारोपयोगी पुष्टाहार बनाने का भी लक्ष्य कभी पूरा नहीं करेगा। इससे स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर नहीं बन सकेंगी।

(3) यू0पी0एस0आर0एल0एम0 को अपने कार्य मॉडल को अधिक efficiency के साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे इकाइयाँ निर्धारित कॉस्ट नार्म के अन्तर्गत पुष्टाहार उत्पादन का कार्य कर सकें।

(4) बी0सी0 सखी का मॉडल एक अच्छा मॉडल है, जिसको राज्य सरकार सहयोग देकर बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा अपनी इकाईयों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

को cost efficient बनाने के लिए बाजार में उपलब्ध मार्केटिंग स्ट्रेटजी तथा मॉडल पर अध्ययन करते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों को और सुदृढ़ और सशक्त बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी आवश्यक है । स्वयं के Specialization को विस्तृत करके इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा खुले बाजार में अपने सामान की आपूर्ति की जा सकती है । इस हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ कन्सलटेन्ट से बिजनेस मॉडल को Restructure कराये जाने सम्बन्धी अध्ययन कराया जाना होगा ।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि Viability Gap Fund के रूप में प्राप्त करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग सक्षम एवं सही विभाग है ।

4- टी0एच0आर0 मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स के लागत संशोधन के सम्बंध में पुनः मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2023 को बैठक सम्पन्न हुई । उक्त बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के पत्र संख्या-।/382886/2023-54-2099/7/2023, दिनांक 06.09.2023 द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के लागत संशोधन (Viability Gap Fund) का लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध ग्राम्य विकास विभाग से किया गया । उक्त के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ई-आफिस पत्रावली के माध्यम से मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्र संख्या-6069/3363/ टी0एच0आर0/2023-24, दिनांक 19.09.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर योजना प्रारम्भ से मार्च, 2024 तक के लिए अनुपूरक पुष्टाहार के उत्पादन लागत की कुल वी0जी0एफ0 धनराशि रु0 262.13 करोड़ प्राप्त करने हेतु माँग की गयी ।

5- उक्त के क्रम में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-557/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0/2023-24, दिनांक 29.09.2023 द्वारा विस्तृत आख्या उपलब्ध कराते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित गैप फण्ड की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) हेतु स्वीकृत की जाय, स्वीकृति उपरान्त धनराशि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सीधे ग्राम्यविकास विभाग को एकमुश्त स्थानान्तरित की जाय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय-समय पर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त गैप फण्ड की धनराशि निर्गत की जाय ।

6- उक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

(1) मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदन के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-19/2020/2591/58-1-2020-2/1(116)17टीसी-सी, दिनांक 01.10.2020 में दिये गये निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुपूरक पुष्टाहार हेतु योजना के प्रारम्भ से मार्च, 2024 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु0 262.13 करोड़ वायबिलिटी गैप फण्ड की धनराशि ग्राम्य विकास विभाग को स्थानान्तरित की जायेगी । बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा वायबिलिटी गैप फण्ड (Viability Gap Fund) की धनराशि रु0 262.13 करोड़ ग्राम्य विकास विभाग के सुसंगत लेखाशीर्षक में एकमुश्त स्थानान्तरित की जायेगी । सुसंगत लेखाशीर्षक का विवरण ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा । स्थानान्तरित धनराशि का समायोजन बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा वित्तीय नियमों के अनुरूप प्राप्त किया जायेगा ।

(2) अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना एवं संचालन का कार्य ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है । इस प्रकार योजना का प्रशासकीय विभाग होने के फलस्वरूप तकनीकी क्षमता एवं आवश्यक संसाधन ग्राम्य विकास विभाग में उपलब्ध हैं तथा अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के संचालन की तकनीकी बारीकियों से पूर्ण रूप से भिज्ञ हैं । अत: अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों के द्वारा उत्पादित पोषाहार की लागत का विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) ग्राम्य विकास विभाग स्वयं के स्तर से करते हुए दरों के विषय में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे तथा वित्तीय मितव्ययता को सुनिश्चित करते हुए वायबिलिटी गैप फण्ड (Viability Gap Fund) धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे ।

7- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इकाईयों के संचालन के प्रारम्भ से माह मार्च, 2024 तक रु0 262.13 करोड़ की आवश्यकता दर्शायी गयी है, जिसका शत-प्रतिशत वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कल्याण-102-बाल कल्याण-17-उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी0एच0आर0 उत्पादन हेतु लागत-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" मद में रु0 291.48 करोड़ का बजट प्रावधान है। उक्त धनराशि में से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बतायी गयी आवश्यकता के अनुसार गैप फण्ड हेतु रु0 262.13 करोड़ की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत करते हुए ग्राम्य विकास विभाग को स्थानान्तरित की जायेगी।

8- यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम्य विकास विभाग बलिनी डेयरी प्रोजेक्ट एवं बी0सी0 सखी योजना की भाँति टी0एच0आर0 प्रोजेक्ट में सम्मिलित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपेक्षित प्रशिक्षण, हैण्ड होल्डिंग, बेहतर गुणवत्ता उत्पादन व मार्केट लिंकेज करा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएँगे। Viability Gap Funding एक वर्ष तक उपलब्ध होगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

**(अनामिका सिंह)**
सचिव।

संख्या-62/2023/3658(1)/58-1-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(महावीर प्रसाद गौतम)**
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।